फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
जिला– बून्दी (राज.)

शिवदत्त बनाम कलावती
55/प्रा०पत्र/

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/21	दावा-पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act द्वारा वकील श्री शंकरलाल मीणा पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि० 29/9/21 को पेश हो।	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट नोटिस जारी
29/9/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट में दिनांक 23/11/21 को पेश हो	नि० शिवदत्त
23/11/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट कैवूदा मे आज पेश हुई पक्षकारान उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित शिवदत्त पि० रामसुख जाति बैरवा सा० कैवूदा का नाम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076-79 में पप्पू आ० रामसुख दर्ज होना बताया है। वादी पप्पू के स्थान पर शिवदत्त करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों से लेने पर ग्रामवासियों ने पप्पू का सही नाम शिवदत्त होना बताया एवं वादी से उक्त नाम के सम्बन्ध मे दस्तावेज मांगने पर आधार कार्ड व राशन कार्ड पेश कर दिया गया। हमने प्रार्थना पत्र, ... पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड ... तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट ... स्पष्ट है कि	नि० कलावती

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पप्पू व शिवदत्त एक ही व्यक्ति के नाम है बहस प्रार्थना पत्र उपस्थित पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम कैथूदा पटवार मण्डल कैथूदा तहसील नैनवां की भूमि खसरा सं. 1006, 1145, 1146, 532, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 884, 982 कुल किता 13 कुल रकबा 5.8735 हैक्टेयर भूमि की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता सं. नया 162 मे दर्ज "पप्पू आत्मज रामसुख" के स्थान पर "पप्पू उर्फ शिवदत्त आत्मज रामसुख" दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner